

4/11/17
4/11/17

On the basis



Smt. Kenu Kumari San, Dhanbad

आदेश पत्र अनुमंडल दण्डाधिकारी, धनबाद

दिनांक/दिनांक 4-11-17

सं० पी० केश नं० 370/2017.....

धारा 107 द.प्र.स.

की की	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र पर की गई कारवाई
7	<p>मोठ कौसर अली बनाम मनोर अली पानरडीए थाना अप्राथमिकी सं० 04/17</p> <p>प्राप्त हुआ। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जाँच पदाधिकारी स० अ० नि०/अ० नि० पानरडीए ने जाँच कर अपना प्रतिवेदन थाना प्रभारी पानरडीए थाना एवं अ० निरी० मनोर अली ने अग्रसारित किया है जिसमें उल्लेख है कि उभय पक्षों की बीच किराया रुकाने को रद्द करने को</p>	<p>13.4.17 5/5/17 27.5.17 10/6/17 23/6/17 10/7/17 26/8/17 5/8/17 24.8.17 7/9/17 20/9/17 11/10/17 28/10/17 11/11/17 समाप्त</p>
	<p>..... लेकर तनाव है। उभय पक्ष कानून को अपने हाथों में लेकर स्थानीय परिशांति भंग करने पर तुले हुए तथा एक दूसरे के जान-माल पर खतरा पहुँचा सकते हैं। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि पक्षों के बीच गंभीर तनाव व्याप्त है तथा इनके कार्यों से कभी भी लोक परिशांति भंग हो सकती है। पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर मैं उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 107 द० प्र० सं० की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को निर्देश देता हूँ कि वे मेरे न्यायालय में दिनांक 23.3.17 को 10.30 बजे पूर्वाह्न उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं लोक परिशांति बनाये रखने के लिए आपके ₹ 5000.00 रु० का दो समप्रतिभुतियों के साथ बन्धपत्र लिया जाय।</p>	
	<p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p></p> <p>अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद</p>	<p></p> <p>अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद</p>

